HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 1224 of 2025

Ajay Singh Yadav

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P.

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Ram Raj Pandey, Shubham Pandey
Counsel for Opposite Party(s)	:	Alpana Nigam, Deepak Kumar Kulshrestha, G.A.

Court No. - 70

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2. वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 584/2022, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 406 भा०दं०वि०, थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस वाद में न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कथित विवादित धनराशि सूचनाकर्ता को चार सप्ताह में वापस करने के आधार पर आवेदक को अंतरिम जमानत पर मुक्त किया गया था, किंतु आवेदक न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2025 का अनुपालन करने में आवेदक असमर्थ है। इसलिए, आवेदक को अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया जाय।

4. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2025 का अनुपालन करने में विफल रहा, जिसके कारण अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, आवेदक को प्रदत्त अंतरिम जमानत निरस्त किये जाने योग्य है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2025 में दिए गए अंतरिम जमानत आदेश में उल्लिखित शर्तों में से एक का पालन करने में विफल रहा है। इसलिए, आवेदक को दी गई अंतरिम जमानत इस स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है।

6. तद्नुसार, आवेदक को आदेश दिनांक 30.07.2025 के द्वारा प्रदत्त अंतरिम ज़मानत **निरस्त** किया जाता है।

7. आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करना सुनिश्चित करेगा, जो उसे तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज देंगे।

8. यदि, आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष नियत समयावधि में उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित न्यायालय को आवेदक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाता है।

9. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश को आवश्यक अनुपालन हेतु 24 घंटे के अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर को फैक्स द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

10. इस वाद को दिनांक **06.10.2025** को सूचीबद्ध किया जाय तथा संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट अग्रिम नियत तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

September 8, 2025
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad